संख्याः 374/XXIV-3/09/02(122)05.

प्रेषक

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 16 मार्च, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में राजकीय इण्टर कालेज, पोखरी, टिहरी के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख1/49248/जीर्ण–शीर्ण/2008–09, दिनांकः 13 फरवरी, 2009 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्याः 127/माध्यमिक/2001, दिनांकः 21.12.2001 एवं शासनादेश संख्याः 523/XXIV-3/08/02(122)2005, दिनांकः 26 मार्च, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेज, पोखरी, टिहरी के अनावासीय चालू भवन निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित लागत रू0 259.19 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 230.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 29.19 लाख (रूपये उन्तीस लाख उन्नीस हजार मात्र) को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/08/02(37)2008, दिनांकः 16 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों पर तथा शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्मस है, स्वीकृत नार्मस से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। कार्यों की समयबद्धता के साथ वर्ष के अन्त तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाये।

क्रमशः.....2

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मददे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3.– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेल–कूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत–11–राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/XXVII(1)/2008; दिनांक 27 मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 374 (1)/XXIV-3/09/02(122)2005; तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी,।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी,।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल– पौडी।

क्रमशः.....3

6– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– जिलाधिकारी, टिहरी।
8– कोषाधिकारी, टिहरी।
9– जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ,
11– बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
13– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड देहरादून।
14– सम्बन्धित निर्माण ऐजेंन्सी।
15– रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।